कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, खैरथल– तिजारा

क्रमांकः– मुजिशिअ/ विद्या संबल/ खैर–तिजा /2026/राज.रैफ.स. दिनांकः– यथाईहस्ताक्षर

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
खैरथल–तिजारा।

विषयः शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ, अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में।

प्रसंगः श्रीमान मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक F-17 (10) Edu-1/QEduc./2022-00494-2429645 दिनांक 18-08-2026 एवं वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 46(2) वित्त/ साविलेनि /2021, दिनांक 30-03-2021 एवं निदेशालय बीकानेर का पत्रांक शिविरा–मा/मा.द./अंग्रेजी माध्यम/संस्थापन /66174/2022–23/144 दिनांक 17.10.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों एवं महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों/राजकीय अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत स्पष्ट रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके तहत सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादित की जानी है। विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यर्थियों/सेवानिवृत्त शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार समय सीमा तय की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधानों को संलग्न पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादित करने हेतु पाबन्द करें। साथ ही मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा स्तर पर मॉनिटरिंग की जावे।

सम्पूर्ण प्रक्रिया की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारम्भिक खैरथल–तिजारा द्वारा की जानी है। उच्चाधिकारियों द्वारा चाही गई सूचना हेतु सूचना का संकलन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारम्भिक खैरथल–तिजारा के द्वारा किया जायेगा। अतः जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से नियमित समन्वयन कर दैनिक मॉनिटरिंग करेंगे एवं सूचना चाही जाने पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(उक्त प्रक्रिया आर्दश **आचार संहिता क्षेत्र में अग्रिम आदेश तक अप्रभावी रहेगी।)**

RajKaj Ref No.:
24282819

Digitally signed by
RAMESH KUMAR MEGH
Designation: District
Education Officer
Date: 2026-08-27 18:18:42
IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	विवरण	दिनांक/समय
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29-08-2026
2.	संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ के द्वारा विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित (व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक L-1/L-2) रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना व चस्पा करवाना	29-08-2026 (अपराह्न 01:00 बजे तक)
3.	संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ के द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	01.09-2026 से 02.09.2026 विद्यालय समय में
4.	संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ कमेटी के द्वारा विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3-3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	03.09.2026
5.	संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ कमेटी के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीईओ कार्यालय में पहुंचाना	04.09.2026 प्रातः 11:00 बजे तक
6.	ब्लॉक स्तरीय कमेटी के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ,समग्र शिक्षा खैरथल–तिजारा कार्यालय में पहुंचाने हेतु अंतिम तिथि	05.09.2026
7.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन-सूची अनुमोदन	07.09.2026 (सायं 06:00 बजे तक)

विद्या संबंल योजना हेतु योग्यताएँ

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
01	**व्याख्याता (विभिन्न विषय)**	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित पद व प्रावधानों के अनुसार
02	**वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)**	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधिनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित पद व प्रावधानों के अनुसार
03	**अध्यापक लेवल–1 व लेवल–2(विभिन्न विषय)**	राजस्थान पंचायत राज नियम–1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंकभार

पदनाम	कक्षा-10	कक्षा-12	स्नातक	अधिस्नातक	डी.एल.एड./बी.एड.
अध्यापक लेवल-1	30%	45%	-	-	25%
अध्यापक लेवल-2	20%	20%	35%	-	25%
वरिष्ठ अध्यापक	10%	15%	50%	-	25%
व्याख्याता	05%	10%	20%	40%	25%

RajKaj Ref No.: 24282819

Digitally signed by RAMESH KUMAR MEGH
Designation: District Education Officer
Date: 2026-08-27 18:18:42 IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नः उपर्युक्तानुसार अन्य संग्लन।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा-खैरथल–तिजारा

क्रमांकः– मुजिशिअ/ विद्या संबल/ खैर–तिजा /2026/राज.रैफ.स. **दिनांकः– यथाईहस्ताक्षर**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु **:-**

01. श्रीमान **निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।**
02. श्रीमान **जिला कलेक्टर महोदय,** खैरथल–तिजारा ।
03. श्रीमान **संयुक्त निदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा** जयपुर **संभाग** जयपुर ।
04. जिला शिक्षा अधिकारी(मु0) माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, खैरथल–तिजारा।
05. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/संस्था प्रधान खैरथल–तिजारा को पालनार्थ ।
06. कार्यालय प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा-खैरथल–तिजारा

RajKaj Ref No.:
24282819

Digitally signed by
RAMESH KUMAR MEGH
Designation: District
Education Officer
Date: 2026-08-27 18:18:42
IST

v-1.0

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :– विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :– शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

मुख्य सचिव

RajKaj Ref No.: 24116683

Scanned with OKEN Scanner

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप

शपथ–पथ

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग.......................................(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने..............................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

Scanned with OKEN Scanner

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner